

विकलांग कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों व्यक्तियों को बनावटी अंग लगवाने हेतु प्रार्थना-पत्र

नोट :-प्रार्थना-पत्र भरने के पहले प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाये तत्पश्चात भरा जाये। प्रार्थना-पत्र सत्य तथा पूर्ण विवरण दिया जाये तथा जिला समाज/विकलांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से भेजा जाये। अपूर्ण तथा सादे प्राप्त प्रार्थना-पत्र में कई वांछित प्रमाण-पत्र लगाना भी आवश्यक है।

पासपोर्ट साइज की
आवंटी का फोटो

1- उपकरण का नाम.....

2- प्रार्थी/प्रार्थिनी का पूरा नाम व पता.....

3- प्रार्थी/प्रार्थिनी के पिता का नाम.....

4- पूरा पता.....

5- प्रार्थी/प्रार्थिनी की स्वास्थ्य की स्थिति शरीर में क्या विकार है स्पष्ट लिखें तथा रजिस्टर्ड विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण-पत्र लगाये जिसमें बनावटी अंग लगवाये जाने वाला भाग भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो और चिकित्सक के उस चित्र पर हस्ताक्षर हों।.....

6- प्रार्थी/प्रार्थिनी की जाति
(यदि अनुजाति/अनुजन जाति का है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।)

7- प्रार्थी/प्रार्थिनी का व्यवसाय व मासिक आय.....

8- प्रार्थी/प्रार्थिनी की जन्मतिथि तथा आयु(वर्षों में).....

9- प्रार्थी/प्रार्थिनी के संरक्षक अथवा सहायक का व्यवसाय तथा मासिक आय
(आय से सम्बन्धित जिले के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।)

10- प्रार्थी/प्रार्थिनी के आश्रितों की संख्या एवं व्यवसाय का विवरण एवं मासिक आय (रु० में)

11- प्रार्थी/प्रार्थिनी को बनावटी अंग लगवाने में कुल कितना व्यय करना पड़ेगा। जिस चिकित्सक का प्रमाण पत्र में बनावटी अंग लगवाना है उसके प्रधान चिकित्सक का प्रमाण-पत्र संलग्न करें जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा जाये कि शरीर में कौन सा अंग लगवाना है जिसका मूल्य रु० होगा तथा चिकित्सालय की ओर से यह अंग निःशुल्क लगाया जा सकता है।

12- हियरिंग ऐड चश्मा इत्यादि जो भी वस्तुये क्रय करना है उसका उल्लेख करें तथा मूल्य सूची लगायें।

13- उक्त प्रकार की सहायता के अतिरिक्त यदि और कोई सहायता चाहते हों उसका उल्लेख ।

14-प्रार्थी/प्रार्थिनी बनावटी अंग लगवाने में अथवा हियरिंग ऐड के कय करने में अथवा अन्य प्रकार की सहायता हेतु अपने ओर से कितना धन व्यय करेगा।.....

15- प्रार्थित अनुदान की धनराशि (मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार)।.....

16- क्या प्रार्थी/प्रार्थिनी भारत वर्ष की राष्ट्रियता है तथा उ०प्र० का निवासी/निवासिनी है। यदि हाँ तो कितने वर्ष से उ०प्र० में रही है/रहा है

(राज पत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।

17-प्रार्थी/प्रार्थिनी के विषय मे अन्य विवरण

विवरण.....

दिनांक.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी के स्पष्ट हस्ताक्षर

वर्तमान पता

.....

.....

संलग्नको का विवरण :-

1- फोटो।

2- निवास/अधिवास प्रमाण-पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा)।

3- विकलांगता का प्रमाण-पत्र।

4- जाति प्रमाण-पत्र (यदि अनु० जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग का हो तो)

5- आय प्रमाण-पत्र।

7- प्रार्थित अनुदान की धनराशि (मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार)